तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाबूराम सुथार बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार पीपाड़शहर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 36/2020**	

26.02.20

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पाबुराम सुथार निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.01.2020 में उसके द्वारा (1) रूकमादेवी पत्नी सुखदेव एवं सुखदेव पुत्र जेठाराम जाति सुथार निवासी सालवा खुर्दू तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर द्वारा रामनिवास पुत्र हापुराम जाति सुथार के पक्ष में या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में उप पंजीयक पीपाड़शहर के कार्यालय में किसी प्रकार का चल अचल सम्पति या भूमि मकान का विधिक इकरार या पंजीयन(जैसे गोदनामा, हकतर्कनामा, वसीयतनामा, आममुखत्यार) कराया हो तो उनकी प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 415 दिनांक 12.02.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय में पंजीबद्ध हुए (गोदनामा सुखदेवराम पुत्र श्री जेठाराम जाति सुथार निवासी सालवा खूर्द) दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि इस कार्यालय के पत्रांक 414 दिनांक 12.02.2020 जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।